

प्रेषक,

डॉ० भूपिन्दर कौर औलख,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
खेल निदेशालय,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग

देहरादून : दिनांक : 15 मार्च, 2019

विषय:- नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित बजट की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1186/ब0पत्रा0/2018-19, दिनांक 01 फरवरी, 2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी हेतु प्राविधानित बजट/धनराशि से स्वीकृत उक्त संस्थान हेतु 08-नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को अनुदान-20-सहायक/अंशदान/राजसहायता में ₹ 40.00 लाख तथा 43-वेतन भत्तों आदि के लिये सहायक अनुदान में ₹120.00 लाख इस प्रकार कुल ₹160.00 लाख (एक करोड़ साठ लाख मात्र) की धनराशि को आपके निर्वतन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-284/XXVII(1)/2013, दिनांक 30 मार्च, 2013 तथा शासनादेश संख्या-413/XXVII(1)/2013, दिनांक 10 जून, 2013 में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। उक्त कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-474/XXVII(7)/2008, दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 के विहित शर्तों के अनुसार कार्यदायी संस्था से निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि मदवार स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

4. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।

5. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली-भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

6. स्वीकृत धनराशि की पार्किंग ऑफ फंड नहीं किया जायेगा तथा धनराशि दिनांक 31 मार्च, 2019 तक व्यय कर ली जायेगी एवं अवशेष धनराशि नियमानुसार समर्पित कर दी जायेगी।
7. अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण शासन को प्रेषित किये जाय तथा समस्त कार्य निर्धारित समय अवधि के भीतर ही पूर्ण किया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।
8. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
9. अधिप्राप्ति कार्यों हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति संशोधित नियमावली, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
10. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका से करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। कार्य करते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाय।
11. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। तथा विलम्ब के कारण आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। कार्य का गुणवत्ता परीक्षण नियोजन विभाग द्वारा चयनित संस्था से कराये जाने हेतु प्रस्ताव समयान्तर्गत नियोजन विभाग को प्रेषित करते हुए समयबद्ध कार्यवाही की जायेगी।
12. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से अनुदान संख्या-11-आयोजनागत लेखाशीर्षक-2204-खेलकूद तथा युवा सेवार्य-00-104-खेलकूद के अन्तर्गत-08-नेहरू पर्वतारोहण संस्था को अनुदान-20 सहायक/अंशदान/राजसहायता-43 वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान के नामें डाला जायेगा।
13. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-246(म0)/XXVII(3)/2018-19, दिनांक 15 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक: अलाटमेंट आई0डी0 संख्या-S1903110377, दिनांक 15 मार्च, 2019

भवदीय,



(डॉ० भूपिन्दर कौर औलख)  
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या— /VI/2019-21(04)/2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी।
4. प्रधानाचार्य, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी।
5. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
7. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गिरीश चन्द्र जोशी)  
उप सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20182019

Secretary, Sports (S047)

आवंटन पत्र संख्या - 131/VI/2019-21(04)/2018

अनुदान संख्या - 011

अलोटमेंट आई डी - S1903110377

आवंटन पत्र दिनांक -15-Mar-2019

HOD Name - Director Sports (2441)

1: लेखा शीर्षक	2204 - खेल कूद तथा युवा सेवार्थें	00 -
	104 - खेलकूद	
	08 - नेहरू पर्वतारोहण संस्था को अनुदान--	
	00 - नेहरू पर्वतारोहण संस्था को अनुदान--	

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	20000000	4000000	24000000
43 - वेतन भत्ते आदि के लिये सहाय	60000000	12000000	72000000
	80000000	16000000	96000000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

16000000